



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102026-277441
CG-DL-E-27102026-277441

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5573]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 26, 2026/कार्तिक 4, 1948

No. 5573]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 2026/KARTIKA 4, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 26 अक्टूबर, 2026

सं. 03/2026—केंद्रीय कर

का.आ. 5791(अ).— केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2026 (2026 का 4) की धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 नवंबर, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 153 से धारा 155 तक के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. सीबीआईसी-20001/1/2026-जीएसटी]

कृति पाण्डेय, अवसर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th October, 2026

No. 03/2026—Central Tax

S.O. 5791(E).— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 1 of the Finance Act, 2026 (4 of 2026), the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 2026 as the date on which the provisions of sections 153 to 155 of the said Act shall come into force.

[F. No. CBIC-20001/1/2026-GST]

KRITI PANDEY, Under Secy.